

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुरपीठासीन अधिकारी :- एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.प्रकरण संख्या 30/2017 (उदयपुर आर्डर)

मैसर्स नम्रता मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड, ऑफिस नंबर 107, स्टार हिंतावाला कॉम्प्लेक्स, नये ब्रिज के पास, पुला, केनरा बैंक के उपर, उदयपुर (राज.)
जरिये निदेशक श्री अशोक विजयवर्गीय

..... अपीलान्त

बनाम

1. सरकार राज्य जरिय जिलाद कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
3. भूमिधारी तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू-राजस्व
अधिनियम - 1956 विरुद्ध आदेश जिला
कलक्टर, उदयपुर दिनांक 18-05-2017
क्रमांक 12/3(134)राज./75/845-50
----/----

उपस्थित :- 1- श्री सत्य प्रकाश व्यास अभिभाषक अपीलान्त
2- श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

-----::-----

निर्णयदिनांक 26-12-2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीनी आदेश में वर्णित किया है कि दिनांक 09-02-1976 को ग्राम अम्बेरी की आराजी नंबर 838 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि मैसर्स अम्बेरी केशर्स को उद्योग हेतु आरक्षित करने के आदेश हुए तथा उक्त आराजी की लीज डीड का पंजीयन दिनांक 04-10-1976 को करवाया गया। उक्त इकाई द्वारा राजस्थान वित्त निगम से प्राप्त ऋण अदा नहीं करने से उक्त सम्पत्ति का बेचान राजुल मार्बल एण्ड ग्रेनाईट्स प्रा.लि. को किया गया। राजस्थान वित्त निगम द्वारा किये गये लीज होल्ड राईट्स हस्तान्तरण के

आवेदन पर जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 20-09-1990 से मैसर्स अम्बेरी केशर्स को आवंटित भूमि की लीज होल्ड राइट्स मैसर्स राजुल मार्बल एण्ड ग्रेनाइट्स प्रा.लि. के नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी। राजुल मार्बल द्वारा दिनांक 14-05-2004 को इकाई को मैसर्स नम्रता मार्बल प्रा.लि. को हस्तान्तरित करने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 17-02-2005 को राजुल मार्बल के बजाय नम्रता मार्बल को गंगसा स्थापित करने हेतु लीज डीड की शेष अवधि के लिए सब लीज हस्तान्तरण करने की अनुमति प्रदान की गयी। तहसीलदार बड़गांव ने अपने पत्र दिनांक 06-10-2016 को एक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अम्बेरी की आराजी नंबर 2838/1579 रकबा 0.9200 हैक्टर भूमि नम्रता मार्बल के नाम दर्ज होकर मौके पर रिक्त पड़ी है एवं किसी प्रकार का उद्योग स्थापित नहीं होने से आवंटन शर्तों की पालना नहीं हो रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इकाई को व्यक्तिगत सुनवाई के नोटिस जारी किये गये। इकाई द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें इकाई को आवंटित भूमि पहाड़ के रूप में होने एवं उँचे पहाड़ होने से औद्योगिक इकाई का संचालन सुचारू नहीं हो पाने के कारणों एवं समतलीकरण किये जाने का उल्लेख किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18-05-2017 से मौजा अम्बेरी की आराजी नंबर 2838/1579 रकबा 0.9200 हैक्टर भूमि का मैसर्स नम्रता मार्बल उदयपुर को किया गया हस्तान्तरण आदेश, पूरक पट्टा एवं औद्योगिक आरक्षण आदेश निरस्त कर भूमि को बिलानाम दर्ज कर कब्जेराज लेने का आदेश दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 18-05-2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 30-05-2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया है कि करीब 42 वर्ष पूर्व दिनांक 31-05-1976 को ग्राम अम्बेरी की आराजी नंबर 838 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि मैसर्स अम्बेरी केशर्स को उद्योग स्थापना हेतु आरक्षित की गयी, जिसकी लीज डीड का पंजियन दिनांक 04-10-1976 को किया गया। इकाई स्थापना हेतु राजस्थान वित्त निगम से ऋण प्राप्त किया गया, किन्तु ऋण अदा नहीं कर सकने के कारण राजस्थान वित्त निगम द्वारा सम्पत्ति जब्त कर उसका बेचान राजुल मार्बल को किया गया एवं दिनांक 20-09-1990 को राजुल मार्बल को लीज हस्तान्तरित की गयी। तत्पश्चात् राजुल मार्बल द्वारा दिनांक 14-05-2004 को आवेदन प्रस्तुत कर इकाई को लीज को शेष अवधि के लिए अपीलान्ट को हस्तान्तरित करने का निवेदन किया गया, जिस पर गेंगसा स्थापित करने हेतु अपीलान्ट को अनुमति दी गयी। दिनांक 29-07-2016 को अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर ने तहसीलदार को पत्र लिखकर आवंटित भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाई, जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 16-08-2016 को रिपोर्ट भेजी की मौके पर मैसर्स अम्बेरी केशर्स के नाम से कोई यूनिट नहीं है। बाद में पुनः अतिरिक्त जिला कलक्टर ने दिनांक 07-09-2016 से रिपोर्ट मंगवाई, जिसमें वादग्रस्त जमीन में अपीलान्ट का नाम दर्ज होना, उसके द्वारा लीज जमा कराना, जमीन रिक्त पड़ी होना एवं लीज शर्तों की पालना नहीं होने का कथन अंकित किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 19-12-2016 को अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी कर दिनांक 09-01-2017 को जिला कलक्टर उदयपुर के यहां उपस्थित होने को कहा गया, जिसका विस्तृत जवाब दिनांक 23-01-2017 को अपीलान्ट द्वारा मय दस्तावेज के जिला कलक्टर के सम्मुख प्रस्तुत किये गये तथा जवानी बहस व रूलिंग प्रस्तुत की। जिला कलक्टर द्वारा बहस सुनकर पत्रावली आदेश में नियत की गयी, परन्तु इसी दौरान जिला कलक्टर रोहित गुप्ता का स्थानान्तरण हो जाने से उनके स्थान पर नये जिला कलक्टर पदस्थापित हुए, जिन्होंने अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये, बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय एवं विधि के अनुरूप नहीं है। मूल रूप से भूमि वर्ष 1976 में मैसर्स केशर्स को गिट्टी केशर लगाने हेतु आवंटित की गयी थी, जिसने

उद्योग स्थापना हेतु राजस्थान वित्त निगम से ऋण लिया, परन्तु ऋण नहीं चुका पाने के कारण इकाई की सम्पत्ति राजस्थान वित्त निगम द्वारा राजुल मार्बल को विक्रय की गयी। यहां अति आवश्यक तथ्य यह है कि अम्बेरी केशर्स द्वारा ऋण लिया गया इससे ही इस बात की उपधारणा ली जा सकती है कि उनके द्वारा उद्योग स्थापित किया गया। बात में वित्त निगम द्वारा इकाई की सम्पत्ति जब्त की गयी जिससे भी यह उपधारणा बनती है कि वहां कोई उद्योग स्थापित था, तभी सम्पत्ति को जब्त किया गया, वरना सम्पत्ति को कैसे जब्त करते। इसके अलावा यदि उद्योग स्थापित नहीं किया गया तो आवंटन के 14 वर्ष बाद 1990 में राजुल मार्बल को यह जमीन जिला कलक्टर द्वारा हस्तान्तरित करने का क्या कारण था। यदि अम्बेरी केशर्स द्वारा कोई आवंटन शर्त की उल्लंघना होती तो आवंटन तत्काल निरस्त कर दिया जाता। इससे भी स्पष्ट है कि समयावधि में इकाई द्वारा उद्योग स्थापित कर लिया गया। इसके बाद वर्ष 2005 में भी राजुल मार्बल द्वारा अपीलान्ट को जमीन हस्तान्तरित की गयी, जिससे स्पष्ट है कि राजुल मार्बल द्वारा भी लीज आवंटन की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया। इस सारी बातों से स्पष्ट है की मूल रूप से अम्बेरी केशर्स द्वारा लीज शर्तों की पालना की गयी थी और 40 वर्षों बाद बिना किसी शिकायत के, बिना किसी रिपोर्ट के अचानक अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाना एवं आवंटन निरस्त कर देना अत्यन्त आश्चर्य जनक है तथा यह आदेश विधिक के विपरीत है।

अपीलान्ट द्वारा अपने विस्तृत जवाब के साथ कई सारे दस्तावेज प्रस्तुत किये एवं बताया कि वादग्रस्त भूमि पर पोलिशिंग मशीन प्लान्ट, डी. जी. सेट, टाईल्स कटर प्लान्ट लगा हुआ है एवं जवाब में यह भी उल्लेख किया कि अपीलान्ट की मौजूदगी में मौका निरीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट मंगवाई जाये ताकि वास्तविक स्थिति न्यायालय के सम्मुख आ सके, लेकिन ऐसा कोई निरीक्षण अपीलान्ट की मौजूदगी में किया गया हो इस निर्णय से मालूम नहीं पड़ता। अपीलान्ट एक बड़ी यूनिट लगाना चाहता है इसके लिए उनसे पास की जमीन का भी क्रय कर उसका रूपान्तरण उद्योग हेतु करवाया है और लाखों रूपये जमीन कर भूमि का समतलीकरण किया है। पटवारी ने 4 लाईनों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर जमीन रिक्त पड़ी होना एवं लीज शर्तों की पालना नहीं होना बताया है, लेकिन अपीलान्ट द्वारा किसी शर्त की

अवहेलना की गयी है यह नहीं बताया है, न ही रिपोर्ट के साथ मौके का कोई नक्शा प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा जिला जिलाधीश द्वारा पत्रावली से बिल्कुल भिन्न तथ्य लिखकर कि इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित दूरी तक भूमि का आवंटन नहीं की जा सकती। यह लिखकर आवंटन निरस्त करना भी अपने आपमें यह अपील स्वीकार करने के लिए पर्याप्त है। अम्बेरी केशर को आवंटित भूमि में 2 वर्ष में उद्योग स्थापित करने की कोई शर्त नहीं है। किसी भी आवंटन या लीज की शर्तों से मूल आवंटी पाबन्द हे सकता है। यद्यपि 2 वर्ष में उद्योग स्थापित करने की कोई शर्त मूल आवंटन में दर्ज नहीं है, लेकिन यदि मूल आवंटी अंबेरी केशर भी उससे पाबन्द होता तो चूंकि वित्त निगम द्वारा कई सालों बाद यह सम्पत्ति जब्त कर नीलाम की गयी है, इसलिए 2 वर्ष की शर्त अम्बेरी केशर के साथ ही समाप्त हो गयी है। वैसे भी राजुल मार्बल ने यह सम्पत्ति वित्त विभाग से नीलामी में खरीदी है और अपीलान्ट ने राजुल मार्बल के हस्तान्तरण के निवेदन से जिला कलक्टर की स्वीकृति से यह इकाई हस्तान्तरण से प्राप्त की है एवं आरोपित राशि भी अपीलान्ट ने जमा करायी है। आवंटन के 40 वर्षों बाद बिना किसी शिकायत के एवं बिना अपीलान्ट को सुने आवंटन निरस्ती का कोई औचित्य नहीं है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति अनुसार वर्ष 1975-76 में अंबेरी केशर्स को विवादित भूमि का आवंटन किया जाकर लीज डीड का पंजीयन दिनांक 23-09-1976 में किया गया। उक्त इकाई के पक्ष में निष्पादित लीज डीड में हालांकि कोई अवधि विहित नहीं है कि कितनी अवधि में उद्योग की स्थापना की जायेगा, परन्तु औद्योगिक भूमि आवंटन नियम 1959 के नियम 7 जो कि वर्ष 1976 में दिनांक 05-07-1976 को लागू हुआ है, उसके अनुसार यह प्रावधान था कि आवंटी द्वारा 2 वर्षों में उद्योग स्थापित कर लेना चाहिए, तदनुसार इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं है कि लीज डीड में उक्त शर्त लिखी गयी है अथवा नहीं, क्योंकि उक्त शर्त नियमों में विद्यमान है तथा आवंटन उक्त नियमों के तहत ही किया गया है।

मैसर्स अम्बेरी केशर्स को वर्ष 1976 में आवंटित उक्त भूमि के सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 69 अनुसार राजस्थान

वित्त निगम द्वारा ऋण दिया जाना भी सुस्पष्ट है तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 77 अनुसार ऋण चुकता नहीं होने के कारण उक्त आवंटित भूमि राजुल मार्बल को विक्रय किये जाने का उल्लेख है तथा विक्रय पत्र की प्रतिलिपि भी पत्रावली के पृष्ठ संख्या 78 से 81 पर उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 95 के जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 20-09-1990 के अनुसार अम्बेरी केशर्स की सम्पत्ति का बेचान राजुल मार्बल को किये जाने के कारण मैसर्स अम्बेरी केशर्स को आवंटित भूमि के लीज होल्ड राइट्स आदेश दिनांक 31-05-1976 अनुसार मैसर्स राजुल मार्बल को हस्तान्तरण करने की अनुमति भी दी गयी है तथा इसकी पालना में पूरक लीज डीड भी निष्पादित हुई है तथा जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 में भूमि मैसर्स राजुल मार्बल एण्ड ग्रेनाईट्स प्रा.लि. के नाम दर्ज है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि मैसर्स राजुल मार्बल एण्ड ग्रेनाईट्स प्रा.लि. के आवेदन पर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 136 दिनांक 02-11-2004 से मैसर्स राजुल मार्बल एण्ड ग्रेनाईट्स प्रा.लि. से मैसर्स नम्रता मार्बल प्रा.लि. को सबलीज करवाये जाने बाबत तहसीलदार से यह पूछा गया कि लीज डीड की शर्तों की पालना की गयी है अथवा नहीं, लीज डीड शुल्क जमा हो चुका है अथवा नहीं तथा वर्तमान में मौके की स्थिति क्या है। जिस पर तहसीलदार द्वारा अपने पत्र दिनांक 29-12-2004 में यह वर्णित किया कि लीज किराया मैसर्स राजुल मार्बल एण्ड ग्रेनाईट के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर पोलिसिंग प्लान्ट लगाकर गोडाऊन लगा हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 139 आदेश दिनांक 17-02-2005 से मैसर्स राजुल मार्बल एण्ड ग्रेनाईट्स प्रा.लि. के बजाय मैसर्स नम्रता मार्बल प्रा.लि. को गेगसों स्थापित करने हेतु सबलीज करने का आदेश भी उपलब्ध है। अर्थात् वर्ष 1975-76 से लेकर आवंटी अम्बेरी केशर के बाद राजस्थान वित्त निगम द्वारा राजुल मार्बल को भूमि विक्रय की गयी, तत्पश्चात् राजुल मार्बल द्वारा हस्तान्तरण का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर जिला कलक्टर द्वारा भूमि अपीलान्ट नम्रता मार्बल को वर्ष 2005 में हस्तान्तरित करने के आदेश दिये गये, जिसकी लीज डीड दिनांक

30-03-2005 को निष्पादित हुई तथा उद्योग लगे होने की साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध है।

पत्रावली में वर्ष 2005 के बाद प्रकरण में अन्य कोई महत्वपूर्ण कार्यवाही नहीं हुई, परन्तु 11 वर्षों बाद जिला कलक्टर के पत्र क्रमांक 1479 दिनांक 29-07-2016 से तहसीलदार से उक्त भूमि के आवंटन शर्तों की पालना बाबत जाच रिपोर्ट मंगवायी गयी, जिसमें पटवारी द्वारा पहले यह रिपोर्ट की गयी कि अम्बेरी केशर के नाम से कोई यूनिट नहीं है, न ही जमाबन्दी में इसका उल्लेख है। पुनः तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट की गयी कि उक्त भूमि रिक्त पड़ी है एवं किसी प्रकार का केशर य उद्योग स्थापित नहीं है। लीज राशि जमा हो रही है, परन्तु लीज शर्तों की पालना नहीं हुई है। तहसीलदार की यह 4 लाईन की रिपोर्ट पटवारी द्वारा बिना पर्चा मौका बनाये की गयी रिपोर्ट को तहसीलदार द्वारा अग्रेषित कर दी गयी है। आश्चर्य जनक रूप से पटवारी द्वारा पहले अपने हल्के की भूमि में ऐसी कोई यूनिट ही स्थापित नहीं होना बताया, परन्तु उसके बाद जमाबन्दी की प प्रति के साथ ऐसी यूनिट लगी होना तथा उसके रिक्त होने की रिपोर्ट पेश की है तथा उसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार ने जिला कलक्टर को अपनी रिपोर्ट भेज दी है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19-12-2016 को अपीलान्ट/आवंटी को नोटिस जारी किये कि मौके पर उक्त भूमि रिक्त पड़ी है तथा उद्योग स्थापित नहीं है तथा शर्तों की पालना नहीं हुई है इसलिए आवंटन निरस्त किया जावे।

उपरोक्त नोटिस के सन्दर्भ में अपीलान्ट आवंटी द्वारा विस्तृत लिखित जवाब पेश करते हुए कथन किया कि पर्चा मौका उसकी उपस्थिति में नहीं बनाया गया है तथा भूमि में पूर्व से उद्योग स्थापित था तथा उसके द्वारा बड़ा उद्योग लगाने हेतु पास की भूमि क़य कर उसका रूपान्तरण भी करवाया गया है एवं भूमि का समतलीकरण कराया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब के साथ पिछले 8 वर्षों के इन्कम टैक्स रिटर्न, 6 वर्षों के सेल टैक्स रिटर्न, आडिट बैलेन्स शीट वर्ष 2015-16 की, मशीनरी इन्सटालेशन बिल वर्ष 2005-06 के, भूमि समतलीकरण के बिल, टी.डी.एस. प्रमाण पत्र, नगर विकास प्रन्यास द्वारा जारी पट्टा, बोरवेल खुदाई के बिल तथा अन्य दस्तावेज पेश किये कर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 04-08-2015 की प्रति भी प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक

18-05-2017 को जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें आवंटन निरस्ती के जो आधार लिये गये हैं, वह मुख्यता पटवारी की रिपोर्ट है, जिसमें उसके द्वारा भूमि को पहले तो अस्तित्व में ही नहीं होना बताया है तथा बाद में भूमि को रिक्त होना बताया है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन निरस्त किया गया है।

हमारा इस प्रकरण में यह मत है कि पटवारी हल्का द्वारा की गयी इस प्रकार की रिपोर्ट विस्मयकारी है, जिसके सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलान्ट/आवंटी की उपस्थिति में मौके पर उद्योग स्थापित है अथवा नहीं, इस बाबत् विचार किया जाना चाहिए था। जैसाकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में राजुल मार्बल से आवंटी अपीलान्ट को भूमि का हस्तान्तरित किये जाते समय तहसीलदार की मौके पर उद्योग लगाये जाने की रिपोर्ट है। अर्थात् मौके पर उद्योग लगाये जाने की प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध है तो मौके पर उद्योग मौजूद है अथवा नहीं तथा भूमि पर उद्योग स्थापित नहीं होने से शर्तों का उल्लंघन माना जा सकता है अथवा नहीं, क्योंकि एक बार मौके पर विहित अवधि में उद्योग स्थापित हो जाने तथा आवंटन के 40 वर्षों बाद आवंटन को निरस्त किये जाने से पूर्व आवंटी को सुनवाई का अवसर दिया जाना तथा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बनायी गयी पटवारी रिपोर्ट के साक्ष्य मूल्यों की विवेचना किया जाना वांछनीय है। तदनुसार अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बनाया गया पर्चे मौके की विश्वसनियता प्रथम दृष्टया संदिग्ध है, विशेष रूप से यह विचारणीय रहता है कि एक बार आवंटन शर्तों की पालना कर लिये जाने के बाद तथा उद्योग स्थापित हो जाने के बाद उक्त शर्तों का लागू होना माना जाये अथवा नहीं, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उद्योग विभाग के पत्र के आधार पर विवादित भूमि रोड़ के निकट आ जाने का भी आधार लिया है, जो गलत है, क्योंकि आवंटन किये जाने बाद निरस्तीकरण के समय प्रचलित नियमों को दृष्टिगत रखकर आवंटन निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब आवंटन किया जाता है उस समय इण्डियन रोड़ कांग्रेस का क्या मापदण्ड था, इस बाबत् कोई साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यदि आवंटन के पश्चात् इण्डियन रोड़ कांग्रेस के मापदण्ड

परिवर्तित हो जाते हैं तो इस कारण आवंटन को निरस्त किये जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार नहीं है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त की पेश शुदा साक्ष्यों व न्यायिक नजीरों का भी उल्लेख अपने निर्णय में नहीं किया है। साथ ही यह भी स्थापित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पूर्वाधिकारी द्वारा सुनी गयी बहस के बाद अपीलान्त आवंटी को बिना सुने निर्णय पारित कर दिया है, जबकि किसी भी पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा हितबद्ध/विपक्षी को सुनकर ही निर्णय पारित किया जाना होता है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्त को सुनवाई का विधिवत अवसर नहीं दिया गया है तथा उसके द्वारा पेश शुदा साक्ष्यों व न्यायिक नजीरों का भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अवलोकन नहीं किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष प्रतिपादित किया गया है उन निष्कर्षों पर अपीलान्त के पक्ष की साक्ष्य व दस्तावेजों का परिशीलन नहीं किया गया है तथा जिस मौका रिपोर्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय का आधार लिया गया है वह रिपोर्ट अपीलान्त/आवंटी की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। तदनुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18-05-2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन के दृष्टिगत अपीलान्त को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर, पेश शुदा साक्ष्यों का विधिवत विवेचन करते हुए प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26-02-2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26-12-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

